न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0-01/15

<u>संस्थित दिनाँक-01.01.2015</u>

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—मौ जिला—भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

योगेश पुत्र झण्डासिंह यादव उम्र 24 साल निवासी वार्ड क0 2 लोहारपुरा थाना मी जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

–ः निर्णय ::–

[आज दिनांक 08.11.2017 को घोषित]

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 07.12.14 को 17:40 बजे खेरिया जल्लू रोड थाना मौ जिला भिण्ड पर मोटरसाईकिल क0 एम0पी0—30 एम0एच0 0251 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना चालन अनुज्ञप्ति के परिवहन किया।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहत द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को भादिवि० की धारा 337 का उपशमन किया गया। इस निर्णय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधि० की धारा 3/181 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी अली हुसैन अपने भाई बली हुसैन के साथ पढ़ा खरीदकर मोटरसाईकिल से मौ तरफ आ रहे थे। मोटरसाईकिल को बली हुसैन चला रहा था। शाम करीब 5:40 बजे खिरिया जल्लू मोड पर मौ तरफ से अभियुक्त अपनी मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे बली हुसैन को चोटें आई। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क० 399 / 14 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, वाहन जब्त कर जब्ती पत्रक, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर० पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।
- 4. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य न होने से दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1—क्या अभियुक्त ने दिनांक 07.12.14 को 17:40 बजे खेरिया जल्लू रोड थाना मौ जिला भिण्ड पर मोटरसाईकिल क0 एम0पी0—30 एम0एच0 0251 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2-क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना चालन अनुज्ञप्ति के परिवहन किया। ?

<u>–ः सकारण निष्कर्ष ::–</u>

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में निहालसिंह अ०सा० 1, अली हुसैन अ०सा० 2, बली हुसैन अ०सा० 3 को परीक्षित कराया गया है तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।
- 7. फरियादी अली हुसैन अ0सा0 2 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि आज से तीन साल पहले सिर्दियों के 5–6 बजे वे और उनका भाई मोटरसाईकिल से आ रहे थे। खिरिया जल्लू मोड पर अज्ञात मोटरसाईकिल से मोटरसाईकिल टकराई और वे गिर पड़े। साक्षी दुर्घटना में बली हुसैन को चोट आने का कथन करता है। दुर्घटना लिप्त मोटरसाईकिल का नंबर व उसके चालक को न देख पाने का कथन करता है। साक्षी दुर्घटना की रिपोर्ट प्र0पी0 1 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता है। आहत बली हुसैन अ0सा0 3 यह बताते हैं कि शाम 6–7 बजे की बात है वे और उनका भाई मोटरसाईकिल से आ रहे थे। वह मोटरसाईकिल चला रहा था। खिरिया जल्लू मोड पर कोई अज्ञात मोटरसाईकिल से मोटरसाईकिल टकरा गयी जिससे वे लोग गिर पड़े और बेहोश हो गए। बाद में उसे मौ अस्पताल ले जाना बताया है। यह साक्षी भी मोटरसाईकिल का नंबर व उसके चालक को न देख पाने का कथन करता है। घटना के सर्वोत्तम साक्षीगण द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन न करने से उन्हें पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिनमें साक्षियों ने अभियुक्त के द्वारा अभिकथित दुर्घटना में लिप्त मोटरसाईकिल के उपेक्षा व उतावलेपन से चलाए जाने के संबंध में सुझाव से इंकार किया।
- 8. प्रकरण में फरियादी अली हुसैन अ०सा० 2 प्र०पी० 1 की रिपोर्ट में सी से सी भाग पर अभियुक्त द्वारा मोटरसाईकिल तेजी व लापरवाही चलाकर टक्कर मार देने के तथ्य लिखाए जाने से इंकार करते हैं। साक्षी पुलिस कथन प्र०पी० 3 में ए से ए व बी से बी भाग पर अभियुक्त के द्वारा मोटरसाईकिल चालक होने के संबंध में तथ्य से इंकार करते हैं। इसी प्रकार से बली हुसैन अ०सा० 3 भी अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त द्वारा मोटरसाईकिल चलाए जाने के तथ्य से इंकार करते हैं व पुलिस कथन प्र०पी० 4 में अभियुक्त के मोटरसाईकिल चालक होने के तथ्य से इंकार करते हैं। इस

प्रकार से घटना के सर्वोत्तम साक्षियों द्वारा घटना में अभियुक्त की संलिप्तता को प्रश्निचिन्हित कर दिया है। निहालिसंह अ0सा0 1 जो प्राथमिकी लेखक है, वे फरियादी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाए जाने से प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किए जाने का कथन करते हैं। चूंकि स्वयं फरियादी द्वारा अभियुक्त का नाम व चालक का नाम लिखाए जाने से इंकार किया है ऐसी दशा में मात्र रिपोर्ट प्र0पी0 1 में अभियुक्त का नाम उल्लेखित होना उसके आरोप को प्रमाणित नहीं कर देता है।

- 9. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। प्रकरण में आहतगण एवं चक्षुदर्शी द्वारा अभियुक्त की संलिप्तता को प्रमाणित नहीं किया है। जहां तक रिपोर्ट प्र0पी0 1, पुलिस कथन कमशः प्रपी0 3, 4 का प्रश्न हैं तो वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते उनका उपयोग साक्षियों के पूर्व कथन के रूप में संपुष्टि एवं विरोधामास तथा लोप के संबंध में किया जा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 07.12.14 को 17:40 बजे खेरिया जल्लू रोड थाना मौ जिला भिण्ड पर मोटरसाईकिल क0 एम0पी0—30 एम0एच0 0251 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना चालन अनुज्ञप्ति के परिवहन किया। अतः अभियुक्त को धारा 279 एवं मोटरयान अधि0 की धारा 3/181 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेगा।
- 11. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- 12. अभियुक्त की निरोधावधि कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया । मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश